

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/72542/BRB/BARABANKI/695/CFO

दिनांक: 29-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUN CITY APARTMENTS FOR OMEGA BUILDERS** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO 255 VILLAGE KEWARI, KEWARI, BARABANKI** तहसील - **NAWABGANJ** प्लॉट एरिया **6000.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **13981.96** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER 1	7	0	21.00 mt.
TOWER 2	7	0	21.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SUN CITY APARTMENTS FOR OMEGA BUILDERS** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SUN CITY APARTMENTS FOR OMEGA BUILDERS** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1. मानचित्र में प्रदर्शित सेटबैक अवरोध मुक्त तथा दोनों टॉवर के मध्यम न्यूनतम 7 मीटर सेटबैक आपेन टू स्काई रखा जाना अनिवार्य है।

2- एनओसी आईडी संख्या UPFS/2022/68059/BRB/BARABANKI/645/CFO के द्वारा प्रश्रुत स्थल का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। पुनः उसी स्थल का मानचित्र संशोधित करते हुए आवेदन किया गया है।

3- मानचित्र में भवन TOWER 1 व TOWER 2 भूतल से छठे तल तक प्रस्तावित है। यदि भवन में ढाचा ढांचागत/आक्यूपेन्सी परिवर्तन कराया जाता है तो अग्निशमन विभाग से अनुमति/सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. भवन का अधिभोग से पूर्व एन0बी0सी0 2016 के पार्ट-4 फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के अनुसार दोनों ब्लॉकों में अग्निशमन प्रणाली का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-02-2023
स्थान : **BARABANKI**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ PRAKASH RAI)

[940D9B10F7D4F4D9024BE954CC74D08A8DCFC6A]

01-02-2023